रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 71] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 1998/पौष 9, 1920
No. 71] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 30, 1998/PAUSA 9, 1920

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1998

सं. टी. 14012/10/97-टीएएमपी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न अनुसूची के अनुसार मुरगांव पत्तन न्यास के दरमानों में 'मार्ग प्रदर्शन शुल्क और यान स्थानान्तरण प्रभार' शीर्षक के अधीन भाग-I, खंड ख के अंतर्गत पाद टिप्पणियों में संशोधन करता है । इस अधिसूचना से 'मार्ग प्रदर्शन शुल्क और यान स्थानान्तरण प्रभार' शीर्षक के अधीन भाग-I, खंड ख के अंतर्गत पाद टिप्पणियों के बारे में सभी पूर्व अधिसूचनाओं का अधिक्रमण हो जाएगा।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं० टी-14012/10/97-टी ए एम पी

मुरगांव पत्तन न्यास .....आवेदक

आदेश

(5 दिसम्बर,1998 को पारित)

यह मामला ' मार्ग प्रदर्शन शुल्क (पायलटिज) और यान स्थानान्तरण प्रभारों (शिफ्टिंग चार्जेज) से संबंधित दरमानो में कुछ खंडों के संशोधन के लिए मुरगांव पत्तन न्यास (एम ओ पी टी) से प्राप्त एक प्रस्ताव से संबंधित है ।

2. इस मामले पर पहले इस प्राधिकरण द्वारा 27 मार्च, 98 को हुई बैठक में विचार किया गया था । उस समय पारित किए गए आदेश में दरमानों में वर्तमान पाद टिप्पणियों (क) और (ख) में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, इसलिए उनका राजपत्र अधिसूचना में उल्लेख नहीं किया गया था । तथापि, पत्तन न्यास ने अनुरोध किया कि प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश में पाद टिप्पणियॉ (क) और (ख] शामिल नहीं हैं, हालॉकि इन दो पाद टिप्पणियों के संबंध मे कोई परिवर्तन भी नहीं किया गया है, परन्तु एम ओ पी टी प्राधिकरण द्वारा दिनांक 27 मार्च, 1998 को पारित आदेश को कार्यान्वित करने की स्थिति में नहीं है । इस स्थिति में उनके अनुरोध पर एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था जिसमें यह बताया गया था कि पाद टिप्पणियाँ अशंसोधित हैं क्योंकि वे दिनांक 27 मार्च, 98 का आदेश जारी होने से पूर्व मौजूद थी और पत्तन न्यास तदनुसार इन दो पाद टिप्पणियों के संबंध में आगे उचित कार्यवाही कर सकता है ।

3.1. एम ओ पी टी ने में अपने दरमानों में ' मार्ग प्रदर्शन शुल्क और यान स्थानान्तारण प्रभार' के अंतर्गत भाग । खंड ख के अधीन एक नई पाद टिप्पणी (ड) जोड़ने का भी प्रस्ताव किया था । यह प्रस्ताव निम्न प्रकार था :-

" (ड) जब किसी जलयान को बर्थ से अपसारण प्राथमिकता पर किसी अन्य जलयान को लाने के लिए स्थानान्तरित किया जाता है तो हटाए गए जलयान

को स्थानान्तरण प्रभारों के भुगतान से छूट दी जाती है क्योंकि उसका भुगतान अपसारण प्राथमिकता प्राप्त करने वाले जलयान द्वारा किया जाता है अथवा जब प्राथमिकता प्राप्त जलयान को ऐसे प्रभारों के भुगतान से छूट दी जाए तो स्थानान्तरण को **पत्तन सुविधा** समझा जाता है । तथापि, यह लाभ निम्नलिखित मामलों में नहीं दिया जाएगा :-

(i) गैर- कार्गो जलयान जिन्हें कार्गो जलयान आने पर हर हालत में बर्थ को खाली करना होगा ।

(ii) केवल जलयान की ओर लदान / उतराई के लिए बर्थ का प्रयोग करने वाले जलयान ।

(iii) कोई कार्गो हैंडलिंग प्रचालन किए बगैर बर्थ पर बेकार खड़े जलयान ।

3.2 पत्तन न्यास ने बताया कि इस पाद टिप्पणी को सरकारी निदेशों का अनुपालन करने के लिए शामिल किया गया माना गया था । यह अतिरिक्त पाद टिप्पणी (ड) यान स्थानान्तरण प्रभारों के संबंध में स्पष्टीकरण के रुप में थी ।

4. पत्तन न्यास ने ' मार्ग प्रदर्शन शुल्क और यान स्थानान्तरण प्रभार ' शीर्षक के अन्तर्गत मुरगांव पत्तन न्यास के दरमानों के भाग I, खंड ख में दी गई विद्यमान पाद टिप्पणी (क) का और विस्तार करने का एक अन्य प्रस्ताव भेजा था । संबंधित ब्यौरों को तालिका के रुप में दिया जा सकता है, जो इस प्रकार है।

विद्यमान प्रावधान	**प्रस्तावित प्रावधान**
किसी जलयान को स्ट्रीम से बर्थ अथवा बर्थ से स्ट्रीम तक स्थानान्तरित करने अथवा बर्थों अथवा लंगर स्थल का परिवर्तन (स्थानान्तरण के दो सामान्य कार्यों के बाद) के लिए अलग प्रभार लगाए जाएंगे ।	किसी जलयान को स्ट्रीम से बर्थ अथवा बर्थ से स्ट्रीम तक स्थानान्तरित करने अथवा बर्थों अथवा लंगर स्थल का परिवर्तन करने के लिए अलग प्रभार लगाए जाएंगे । स्थानान्तरण प्रभार स्थानान्तरणों के सभी कार्यों पर लगाए जाएंगे जिनमें मार्ग प्रदर्शन से संबंधित अन्दर की ओर अथवा बाहर की ओर के संचलन और स्थानान्तरणों के दो अतिरिक्त कार्य शामिल नहीं हैं

5. इस मामले में जी एम ओ ई ए तथा वाणिज्य तथा उद्योग मंडल से टिप्पणियाँ मांगी गई थी । तथापि, कोई टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई थी । इस स्थिति में यह महसूस किया गया कि संयुक्त सुनवाई किए जाने का कोई तुक नहीं होगा । तदनुसार इस मामले पर सीधा विचारण शुरु किया गया ।

6. प्राधिकरण ने मुरगांव पत्तन न्यास के दरमानों में 'मार्ग प्रदर्शन शुल्क और स्थानान्तरण प्रभार' से संबंधित भाग I, खंड ख के अंतर्गत एक नई पाद टिप्पणी (ड) जोड़ने के लिए और मौजूदा पाद टिप्पणी (क) का विस्तार करने के लिए प्रस्ताव पर विचार किया । इस पाद टिप्पणी के अंतर्गत संशोधित प्रावधान अन्ततः निम्न प्रकार होगा :-

" (क) किसी जलयान को स्ट्रीम से बर्थ तक अथवा बर्थ से स्ट्रीम तक स्थानान्तरित करने अथवा बर्थों अथवा लंगर स्थलों का परिवर्तन करने के लिए अलग प्रभार लगाए जाएंगे । स्थानान्तरण प्रभार स्थानान्तरणों के सभी कार्यों पर लगाए जाएंगे जिनमें मार्ग प्रदर्शन से संबंधित अंदर की ओर अथवा बाहर की ओर संचलन और स्थानान्तरण के दो अतिरिक्त कार्य शामिल नहीं हैं ।

"(ख) पत्तन की सुविधा के लिए उपर्युक्तानुसार निष्पादित किसी प्रचालन के लिए वसूली नहीं की जाएगी ।

निम्नलिखित अभिप्राय के लिए पत्तन सुविधा की परिभाषा की जाती है :-

(i) यदि बर्थ पर खड़े किसी कार्यरत कार्गो जलयान अथवा लंगर स्थल पर यानान्तरकों (ट्रांशिपर्स) / मूरिंग बोयाओं सहित किसी जलयान को निकर्षण कार्य / जलराशिक सर्वेक्षण कार्य अथवा ड्रैजर के लिए बर्थ को आबंटित करने अथवा बर्थों की मरम्मत का कार्य करने, रख रखाव तथा अन्य इसी प्रकार के कार्य जिनके लिए स्थानान्तरण / बर्थ से हटाया जाना आवश्यक हो तो ऐसे स्थानान्तरण को **"पत्तन की सुविधा के लिए स्थानान्तरण"** माना जाएगा । इस प्रकार स्थानान्तरित जलयान को पुनः अपने स्थान पर लाने के लिए किया गया स्थानान्तरण भी **"पत्तन सुविधा के लिए स्थानान्तरण "** माना जाएगा ।

(ii) यदि किसी कार्यरत कार्गो जलयान को अपसारण प्राथमिकता पर किन्हीं ऐसे जलयानों को खड़ा करने के लिए स्थानान्तरित किया जाता है जिन्हें स्थानान्तरण प्रभारों को वहन करने की छूट प्राप्त हो तो ऐसा स्थानान्तरण **पत्तन सुविधा** के रूप में माना जाएगा ।

(iii) मुरगांव पत्तन न्यास के अध्यक्ष द्वारा यथानिर्णीत किसी अन्य स्थानान्तरण को **पत्तन सुविधा** के रूप में माना जा सकता है ।

"(ग) तथापि, यानान्तरकों (ट्रांशिपसी) के मामले में स्थानान्तरण के सभी कार्यों के लिए प्रभार वसूल किए जाएंगे । "

"(घ) जब किसी जलयान को बर्थ से अपसारण प्राथमिकता पर किसी अन्य जलयान को लाने के लिए स्थानान्तरित किया जाता है तो हटाए गए जलयान को स्थानान्तरण प्रभारों के भुगतान से छूट दी जाती है क्योंकि उसका भुगतान अपसारण प्राथमिकता प्राप्त करने वाले जलयान द्वारा किया जाता है अथवा प्राथमिकता प्राप्त जलयान को ऐसे प्रभारों के भुगतान से छूट दी जाए तो स्थानान्तरण को **पत्तन सुविधा** समझा जाता है । तथापि, यह लाभ निम्नलिखित मामलों में नहीं दिया जाएगा :-

(i) गैर-कार्गो जलयान जिन्हें कार्गो जलयान आने पर हर हालत में बर्थ को खाली करना होगा ।

(ii) केवल जलयान की ओर लदान/उतराई के लिए बर्थ का प्रयोग करने वाले जलयान ।

(iii) कोई कार्गो हैंडलिंग किए बगैर बर्थ पर बेकार खड़े जलयान ।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/असाधारण/143/98]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 1998

No. T-14012/10/97-TAMP.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby amend the foonotes under Part-I, Section-B, under the heading 'Pilotage Fees and Shifting Charges' in the Scale of Rates of the Mormugao Port Trust as in the Schedule appended hereto. This Notification will be in supersession of all earlier Notifications about the footnotes under Part-I, Section-B, under the heading 'Pilotage Fees and Shifting Charges.'

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. T- 14012/10/97-TAMP

The Mormugao Port Trust ..... Applicant

ORDER

(Passed on this 5 day of December of 1998)

This case relates to a proposal from the Mormugao Port Trust (MOPT) for amendment of certain clauses in the Scale of rates relating to 'Pilotage Fees and Shifting Charges'.

2. This case was earlier considered by this Authority in our meeting held on 27 March 98. The Order passed then related to an amendment to the existing footnote (b) in the Scale of Rates. Since there was no change in the existing footnotes (a) and (d), they were not mentioned in the Gazette Notification. However, the Port Trust came up with a request that since the Order passed by the Authority did not include footnotes (a) and (d), even though there was no change in respect of these two footnotes, the MOPT was not in a position to implement the order passed by the Authority on 27 day of March 98. In the event, at their request, a clarification was issued stating that the footnotes (a) and (d) stood unamended as they were prior to issue of the Order dated 27 March 98 and the Port Trust could take further appropriate action in respect of these footnotes accordingly.

3.1. The MOPT subsequently came up also with a proposal for inclusion of a new footnote (e) under Part I Section B 'Pilotage Fees and Shifting Charges' in the scale of rates of the MOPT. The proposal was as follows :-

"(e) Whenever a vessel is shifted from berth to accommodate another vessel on ousting priority, the vessel shifted is exempted from the payment of shifting charges since the same is paid by the vessel enjoying the ousting priority or the shifting is treated as for PORT CONVENIENCE when the priority vessel is exempted from payment of such charges. However, this benefit will not be applicable in the following cases:

(i). Non-cargo vessel which in any case have to vacate the berth when cargo vessels arrive.

(ii). Vessels using the berth exclusively for overside loading/discharge.

(iii). Vessels which are idling at berth without doing any cargo handling operations."

3.2. The Port Trust stated that this footnote was sought to be introduced to comply with the Government directives. This additional footnote (e) was by way of clarification in respect of shifting charges.

4. The Port Trust had sent another proposal for further elaboration of the existing footnote (a) appearing in Part I, Section B of the MOPT Scale of Rates under the

heading 'Pilotage Fees and Shifting Charges'. The relevant details could be represented in a tabular format as follows :

Existing Provision	Proposed Provision
For shifting a vessel from stream to berth or berth to stream or change of berths or anchorage (beyond the normal two acts of shifting) separate charges are leviable.	For shifting a vessel from stream to berth or from berth to stream or change of berths or anchorages, separate charges are leviable. The shifting charges shall be levied on all acts of shiftings which exclude the inward and outward movements connected with the pilotage and additional two acts of shiftings.

5. Comments were called for from the GMOEA and Chamber of Commerce and Industry, Panjim in this case. However, no comments were received. That being so, it was felt that there would be no point in holding a joint hearing. Accordingly, the case was taken up straightaway for consideration.

6. The Authority considered the proposal to elaborate the existing footnote (a) and to include a new footnote (e) under Part - I, Section - B relating to 'Pilotage Fees and Shifting Charges' in the Scale of Rates of the MOPT. The revised provision under this footnote would finally be as under:

"(a) For shifting a vessel from stream to berth or from berth to stream or change of berths or anchorages, separate charges are leviable. The shifting charges shall be levied on all acts of shiftings which exclude the inward and outward movements connected with the pilotage and additional two acts of shiftings."

"(b) Any operation as above performed for the convenience of port shall not be charged.

Port convenience is defined to mean of the following:

(i) If a working cargo vessel at berth or any vessel including transhippers at anchorage/mooring buoys is shifted/inberthed for undertaking dredging work/hydrographic survey work or for alloting a berth for the dredger or for attending to repairs to berths, maintenance and such other similar works whereby shifting is necessitated, such shifting shall be considered as "SHIFTING FOR PORT CONVENIENCE". The shifting made to reposition such shifted vessel is also considered as "SHIFTING FOR PORT CONVENIENCE".

(ii). If a working cargo vessel is shifted from berth to accommodate, on ousting priority, vessels which are exempted from bearing shifting charges, such shifting shall be treated as PORT CONVENIENCE.

(iii). Any other shifting as decided by the Chairman/MPT may be treated as PORT CONVENIENCE."

3539 GI/98-2

"(c). In case of transhippers, however, all acts of shifting are chargeable."

"(d) Whenever a vessel is shifted from berth to accommodate another vessel on ousting priority, the vessel shifted is exempted from the payment of shifting charges since the same is paid by the vessel enjoying the ousting priority or the shifting is treated as for PORT CONVENIENCE when the priority vessel is exempted from payment of such charges. However, this benefit will not be applicable in the following cases:

(i). Non-cargo vessels which in any case have to vacate the berth when cargo vessels arrive.

(ii). Vessels using the berth exclusively for overside loading/discharge.

(iii). Vessels which are idling at berth without doing any cargo handling operations."

S. SATHYAM, Chairman

[Advt./III/IV/143/98(Exty.)]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.